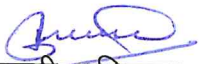


**वन संरक्षण अधिनियम, १९८० का उल्लंघन न होने का
प्रमाण-पत्र**

परियोजना का नाम : ग्वालदम से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ०.९८१ हे० सिविल, कुल ०.९८१ हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, १९८० का उल्लंघन नहीं हुआ है।


प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेखर
(चमोली)


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
थराली, (चमोली)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
थराली (चमोली)


अमान
लो० नि० वि०




वन क्षेत्राधिकारी
मध्य पिण्डर वन क्षेत्र, थराली
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेखर